

भूमि सुधार उप समाहर्ता का कार्यालय, पोड़ाहाट चक्रधरपुर।

नामान्तरण अपील वाद संख्या :- 08/2015-16

आदेश

आदेश की तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति										
10-5-18	<p>प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद अपीलार्थी श्रीमती रेणु तिवारी, पति मनोज कुमार तिवारी निवासी चाँदमारी वार्ड नं०-05, पो०+थाना-चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम द्वारा दिनांक 11.09.2015 को अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा नामान्तरण वाद सं०-422/2014-15, दिनांक 20.04.2015 को अस्वीकृत करने के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में आवेदिका द्वारा नामान्तरण अपील वाद दायर किया गया है। तत्पश्चात् इस न्यायालय में आवेदिका के आवेदन पत्र को स्वीकृत करते हुए नामान्तरण अपील वाद संख्या 08/2015-16 प्रारम्भ किया गया। भूमि का विवरणी निम्नवत् है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>प्लॉट नं०</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>चाँदमारी वार्ड नं०-05</td> <td>-</td> <td>89</td> <td>334</td> <td>0.04 डी०</td> </tr> </tbody> </table> <p>संक्षिप्त इतिहास निम्नवत् है :- निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अंचल अधिकारी ने राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन को तार्किक रूप से जांच किये बिना ही उस पर अपना निर्णय ले लेकर नामान्तरण वाद को खारिज कर दिया था। राजस्व कर्मचारी ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे खतियान में रैयती भूमि के रूप में अंकित है। पुनः अपने प्रतिवेदन में लिखा है कि उक्त भूमि का पंजी-11 में लीज भूमि अंकित है, परंतु उस पर किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रश्नगत भूमि को लीज भूमि मानना विधि सम्मत नहीं होता है।</p> <p>निम्न न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी श्रीमती रेणु तिवारी प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण विवादरहित दखल कब्जे में है।</p> <p>अतः कागजातों एवं अपिलार्थी के अधिवक्ता के बहस से स्पष्ट है कि आवेदित भूमि रैयती व अपिलार्थी के दखल में है। इसलिए अपिलार्थी द्वारा आवेदन को स्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को निर्देश दिया जाता है कि अपिलार्थी के आवेदित भूमि जिसका मौजा वार्ड नं०-05, खाता नं०-89, प्लॉट नं०-334 रकवा-0.04.000 एकड़ (चार डिसमिल) का नामान्तरण अपील स्वीकृत किया जाता है। तदनुरूप अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर अभिलेख में आवश्यक सुधार करना सुनिश्चित करें।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकारों एवं अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को उपलब्ध करावें। आदेश को Online करें।</p> <p>लेखापित</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> 10-5-18</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i> 10-5-18</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट चक्रधरपुर</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता पोड़ाहाट चक्रधरपुर।</p>	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा	चाँदमारी वार्ड नं०-05	-	89	334	0.04 डी०	
मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकवा								
चाँदमारी वार्ड नं०-05	-	89	334	0.04 डी०								